

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SBO नक्सर

जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

केसर

बनाम

धनूज

वाही अन्तर्गत :-

प्राप्ति 212

सं. मुकदमा

प्रा.प

नम्बर

62/2020

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/10/2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपरि जद्वल प्रस्तुत करने से इन्कार किया। प्रकृत की मॉर्टि बेल पर निलताप निम्न प्रकार किया जाता है :- सांघा मामला इत प्रकार है कि प्राप्तिगत ने एक कत्र पत्र के साथ यह प्रा.प अन्तर्गत चयु 212 RTA का विरुद्ध विपक्षीगत कर्म कृतकृत का प्रस्तुत किया गया कि मॉरिजा बलामपरवेडा पर 80 तन्लाठ की खेत 1. 20 की आठ नो 130/103, 134/103, 135/102 फिता-3 कुल रकबा 0.7100 हैपेटेर एक रमता लठ्या 17 की आठ नो 104, 143/102, 145/102, 154/106, 155/106, 157/105 कुल फिता-6 कुल रकबा 1.0500 हैपेटेर प्रति राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त रूप से प्राप्तिगत एवं परिवारीगत के दर्ज रेकॉर्ड है प्रिले प्रत्येक प्राप्ति का 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा है किन्तु पक्षकारों के मध्य विवादा विधि अनुसार तबी होने से मर, पाली एवं एक दिहसे को लक हमेशा विवाद होता है इधलिह विपक्षीगत को मुज बाद के निलताप तक जीमे अस्थागी निषेधावा से प्रबन्ध किया जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व वकील का अवलोकन किया गया विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त व्यवहारी में दर्ज भूमि में प्रत्येक रकब के पू भाग पर सहायक का एक हिस्सा निहित होता है तथा विवादा का वार विचाराधीन है जिससे विवादा का अनुलोष तम होगा।</p>	<p>→ 12.7.0</p>

नम्बर
अहका
हुक्म व
में ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>इस प्रकृष में प्राणीगत को काँज के फे लक्षण उत्पन्न नहीं है साथ अपूरणीय क्षति, सुविधा सन्तुलन की प्राणीगत के पक्ष में नहीं है अतः प्राणीगत का प्राणीय पत्र साबित करने में असफल रहने से खारीज किया जाता है। निष्ठि एवले व्यापारिक लिखना जपक सुलया जपक। पत्रावली बाद लगील तकालील फेल्त सुलार लेक्यु लम्बर ले काम है। <u>Handwritten Signature</u></p> <p>उपखण्ड अधिकारी भदसर, जिला-चित्तौड़गढ़</p>